

To be published in Part-I Section I of the Gazette of India Extraordinary

F. No. 6/27/2020-DGTR

Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

(Directorate General of Trade Remedies)

Jeevan Tara Building, 4th Floor 5, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated: 10.12.2025

AMENDMENT NOTIFICATION

Case No. – (AD-OI-22/2020)

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Certain Flat Rolled Products of Aluminium” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/27/2020 – DGTR Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority issued the Final Findings Notification number 6/27/2020-DGTR dated 07.09.2021 in respect of anti-dumping investigation concerning imports of **“Certain Flat Rolled Products of Aluminium”** originating in or exported from China PR.

2. In light of the Delhi High Court’s final order dated 7 July 2025 passed in Customs Appeal CUSAA 48/2024 which has led to the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) Final Order No. 50471/2023 dated 13 April 2023 (passed in Anti-dumping Appeal No 51425 of 2022) attaining finality, the Authority hereby issues this corrigendum notification to amend the Final Findings to exclude ‘Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm’ from the scope of the Product Under Consideration (PUC).
3. In the note below the duty table in **Paragraph 129** of the Final Findings, point “v” is added therein and stands amended as below:

*“*The following products are excluded from the scope of the product under consideration:*

iii. Can-body Stock – also includes Can End Stock (CES) used to make aluminium cans;

iv. Aluminium Foil up to 80 microns.

v. Lithograde Aluminium Coils of width above 1150 mm”



(Amitabh Kumar)
Designated Authority

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा.सं.6/27/2020-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10.12.2025

संशोधन अधिसूचना

मामला सं. (एडी-ओआई-22/2020)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमीनियम के कुछ विशिष्ट फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

एफ. संख्या 6/27/2020 - डीजीटीआर समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन किए गए लेखों पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी ने चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए "एल्युमीनियम के कुछ विशिष्ट फ्लैट रोल्ड उत्पादों" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/27/2020-डीजीटीआर दिनांक 07.09.2021 जारी की।

2. सीमा शुल्क अपील सीयूएसए 48/2024 में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 7 जुलाई 2025 के अंतिम आदेश के आलोक में, जिसके कारण सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) अंतिम आदेश संख्या 50471/2023 दिनांक 13 अप्रैल 2023 (एंटी-डंपिंग अपील संख्या 51425/2022 में पारित) को अंतिम रूप दिया गया है, प्राधिकरण एतद्वारा अंतिम निष्कर्षों को संशोधित करने के लिए यह शुद्धिपत्र अधिसूचना जारी करता है ताकि '1150 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले लिथोग्रेड एल्युमीनियम कॉइल' को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखा जा सके।

3. अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 129 में शुल्क तालिका के नीचे दिए गए नोट में, बिंदु "v" को जोड़ा गया है और इसे नीचे संशोधित किया गया है:

* निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

iii. कैन-बॉडी स्टॉक - इसमें एल्युमीनियम के डिब्बे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैन एंड स्टॉक (सीईएस) भी शामिल हैं;

iv. 80 माइक्रोन तक एल्युमीनियम फॉयल।

v. 1150 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले लिथोग्रेड एल्युमीनियम काँइल"

अमिताभ कुमार
(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी